न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0 — 257 / 2021 दायर दिनांक 28.06.2021

सीसीएमएस आई0डी0:— 2021 / 229

1. रामस्वरूप पुत्र सोना जाति मीना निवासी गावडी तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

——————सायल

बनाम

1. वैलास पुत्र सोना जाति मीना निवासी गावडी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
2. कावेरी पत्नि वैलास जाति मीना निवासी गावडी तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. नेतराम पुत्र वैलास जाति मीना निवासी गावडी तहसील हिण्डोन जिला करौली
4. पिन्टू पुत्र वैलास जाति मीना निवासी गावडी तहसील हिण्डौन जिला करौली
5. लाजन्ती पुत्र वैलास जाति मीना निवासी गावडी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

——————गैरसायलान—05

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:—1. श्री मुकेश जाटव वकील वादी

2. श्री राजूलाल सोनवाल वकील प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 24-12-24

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है आराजी खसरा नं0 3000 रकवा 16 ऐयर, 3001 रकवा 0.05 ऐयर, 3002 रकवा 0.02, 3003 रकवा 0.07 ऐयर, 3004 रकवा 0.17 ऐयर, कुल किता 5 कुल रकवा 0.47 ऐयर ग्राम गावडी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली में स्थित है जिसमें सायल बहिस्सा 1/3 का रिकॉर्डेड [illegible] शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार हैं सायलान का [illegible] कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान [illegible] दबंग व्यक्ति हैं जो सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा कर उसमें पक्का निर्माण करने पर उतारू हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:02 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात मुतजिका मद नं0 1 वाद पत्र सायल व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिससे खातेदारान के अलावा सायलान या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है।

वाका दिनांक 18.06.2021 का सुबह करीब 9 बजे का है कि सायलान अपने साथ हमराहीयान को लेकर आये तथा सायल की खातेदारी व कब्जे की आराजी की नाप तोल करने लगे पूछने पर कहने लगे कि हमारे पास रिहायश की जमीन कम है इसलिए हम यहॉ निर्माण करेंगे इस पर सायल द्वारा उन्हें समझाया कि उक्त आराजी हमारी खातेदारी व कब्जे की है तुम्हारा इस जमीन से कोई संबंध नहीं है अगर तुमने इस आराजी पर निर्माण कर लिया तो मेरी तो आराजी ही खत्म हो जावेगी। तथा हम काश्त नहीं कर जायेंगे तो हमारे बच्चे ही भूखे मर जायेंगे इस प्रकार सायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कायमयाब हो गये तथा सायल की खातेदारी व कब्जे की भूमि में निर्माण कर लिया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

प्राईमाफेसी केश सायलान के पक्ष में है। सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नहीं है जबकि अस्थायी निषधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ताफैसला दावा इस अम्र से पाबंद फरमाया जावे कि व आराजी खसरा नं0 3000 रकवा 16 ऐयर, 3001 रकवा 0.05 ऐयर, 3002 रकवा 0.02, 3003 रकवा 0. 07 ऐयर, 3004 रकवा 0.17 ऐयर, कुल किता 5 कुल रकवा 0.47 ऐयर ग्राम गावडी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली में सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करें नाकाबिल काश्त नहीं बनावे आराजी में होकर कोई रास्ता निर्माण नहीं करें ऐसा कोई [illegible] तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से करावें जि[illegible] प्रभाव पडे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible]कर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल न0 1 ता 5 की ओर से श्री राजूलाल सोनवाल अधिवक्ता द्वारा बकालतनामा पेश किया। गैरसायल न0 1 ता 5 को कई बार जबाब

देने के अवसर दिये गये परन्तु जबाब नही देने की स्थिति में आदेशिका दिनांक 22.02.2024 को जबाब बंद किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 266, वाके ग्राम गांवडी तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायलान वकील द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में सायलान वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 266, वाके ग्राम गांवडी तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उक्त आराजीयात के सायलान ही खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 28.06.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 3000, 3001, 3002, 3003, 3004 वाके ग्राम गांवडी तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी में मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:02 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन